न्यायालय उपखण्ड जिला कलेक्टर, रामगंजमंडी

मिसल नम्बर 29 / 2015

उनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमंडी जिला कोटा

–प्राथी

बनाम

1. भैरू पन्ना पुत्र कान्हा कोम लोधा निवासी बड़ोदिया

–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र / वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0 टिनेंसी एक्ट 1955

पत्रावली आज राजस्व लौक अदालत कैंप बडोदिया कलां पर पेश हुई। अवलोकन किया गया। एक प्रार्थना पत्र U / S 177 R.T. Act 1955 द्वारा तहसीलदार रा0 मंडी यह तथ्य अंकित किये है,कि ग्राम बडोदिया कलॉ के ख0न0 176 रकबा 0.25 हे मे से 0.10 है पर अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि कार्य की बजाय मोबाइल टावर लगवा दिये है। अप्रार्थीगण को इस क्रम में सूचित किया कि उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से काश्त योग्य भूमि पर मोबाईल टावर लगवा लिया है। अप्रार्थीगण को उक्त भूमि को कन्वर्ट करवाने या मोबाईल टावर हटवाने हेतू पर्याप्त एवं युक्ति युक्त अवसर दिये गये। अप्रार्थीगणद्वारा हर बार सिर्फ अवसर ही लिये कोई समाधान हेतू कार्य नही किये ख0 न0 176 की किस्म बंजड़ बीड़ दर्ज है, जो निःसदेह कृषि योग्य भूमि है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा मोबाईल टावर लगा कर ऐसा कार्य किया है, जिसके परिणम स्वरूप कृषि भूमि पर खेती करना संभव नहीं रहा है। अर्थात अप्रार्थीगण द्वारा हानिप्रद कार्य किया गया है।

(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण का कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 की तारीफ में आता है।

प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारणोपरान्त हम यह पाते है, कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, ग्राम बडोंदिया कलाँ की भूमि आराजी खसरा न0 176 रकबा 0.25 है0 में से 0.05 हेक्टर को कब्जो राज लिया जाकर सिवाय चक सरकार खाते में दर्ज की जावे।

धारा 178 में प्रावधानो के तहत इस आदेश के 90 दिवस के भीतर भीतर यदि अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर से मोबाइल टावर हटा कर भूमि को पुनः काश्त हेतू प्रयोग करने लग जावे या भूमि का विधिवत, युक्ति--युक्त तरीके से संपरिवर्तन शुल्क जमा करवा कर संपरिवर्तन करवा लेंते है तो भूमि को राजहक में लेने की कार्यवाही नहीं की जावे। गुजरने बाद मियाद यह आदेश प्रभावी होगा। अप्राथीगण को आदेश की प्रति उपलब्ध करवाई जावें।

निर्णय आज दि0 21/5/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर राजस्व लौक अदालत कैंप बडोंदिया कलां पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

कृष्ण गोपाल जोजन(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner